न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सीकर
(पीठासीन अधिकारी आर.एन. शर्मा आर0ए0एस0)

दावा संख्या– 121/2013 प्रवेश दिनांकः–03.05.2013

1. भंवरा पुत्र स्व0 देवीदत्त जाति आचार्य ब्राहम्ण निवासी ग्राम कटराथल तहसील सीकर।

वादी

बनाम

1. चंद्रा पुत्र स्व0 देवीदत्त
2. राकेश पुत्र स्व0 बाबुलाल
3. संजना पुत्री स्व0 बाबुलाल
4. घेवरी देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
5. सागर पुत्र स्व0 देवीदत्त मृत समस्त जाति आचार्य निवासीगण कटराथल तहसील सीकर। (हजफ)
6. उपपंजीयक सीकर।
7. हल्का पटवारी कटराथल तहसील सीकर।
8. तहसीलदार सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थार सरकार

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उदघोषणा बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्तागण –

1. श्री प्रभातीलाल – वादी
1. श्री मनोज भार्गव – प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः–18.06.2015

वादी द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कटराथल तहसील सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 444 रकबा 1.31 है0 किता–2 कुल रकबा 1.35 है0 अवस्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चन्द्रा, भंवरा, बाबूलाल, सागर पुत्रगण देवीदत्त का नाम दर्ज है जिनमें चंन्द्रा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता व 4 का पति है। जिसका स्वर्गवास होने व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता व 4 का पति है जिसका स्वर्गवास होने व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 उसके विधिक वारिसान होने से पक्षकार है तथा सागर प्रतिवादी संख्या 4 5 है जो कि आज से 10 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व "लापता" हो गया था, उसके पश्चात वादी अथवा वादी के परिवारजन एवं अन्य किसी ने भी यह नही सुना कि वह जीवित है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 5 सागर के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार यह उपधारणा करने का कानूनी प्रावधान है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 5 सागर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

अविवाहित था। जिस कारण वह प्रथम वर्ग के वारिस छोड़ बिना ही मृत्यु को प्राप्त होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही उसके द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से की भूमि पर उन्हें उत्तराधिकार में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित आकर लोक अदालत की भावना से राजनीमा पेश किया । राजीनामा के अनुसार ग्राम कटराथल तहसील सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 444 रकबा 1.31 है0 किता–2 कुल रकबा 1.35 है0 अवस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा वादी का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का एवं शेष 1/4 हिस्सा अविवाहित एवं बिना दत्तक ग्रहण किये निर्वसियती मृत्यु को प्राप्त, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के भाई सागर का दर्ज है। जिसमें खसरा संख्या 443 रकबा 0.04 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का आवासीय परिसर होने के कारण मौके पर बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 चंद्रा को दिया गया है तथा खसरा नम्बर 444 की भूमि सड़क मार्ग से लगती हुई है जिसमें से 50 गुणा 30 फिट बराबर 167 वर्गफीट के अनुसार 0.0156 है0 भूमि सड़क मार्ग से लगती हुई प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को मौका पर दी गई है तथा इस खसरा नम्बर 444 की शेष 1.31–0.0156 बराबर 1.2944 एवं खसरा संख्या 443 रकबा 0.04 है0 को जोड़कर 1.2944 + 0.04 बराबर 1.3344 है0 में से 1/2 भाग की 0.6672 है0 भूमि खसरा संख्या 444 में से वादी को दकर कब्जा संभला दिया है तथा खसरा संख्या 443 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा संख्या 444 की शेष 0.6272 है0 कुल 0.6672 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चंद्रा को देकर कब्जा सम्भला दिया है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काबिज हो गये है।

ग्राम दौलतपुरा तहसील सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 0.85 है0, खसरा संख्या 371 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 373 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 374 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.75 है0 किता 6 कुल रकबा 3.50 है0 अवस्थित है। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता/पति स्व0 बाबू तथा अविवाहित एवं बिना दत्तक ग्रहण किये व निर्वसियती मृत्यु को प्राप्त वादी के भाई सागर सहित इन सभी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। इन कृषि भूमियों में 1/3 हिस्से के अनुसार 3.50 है0 में से 1/3 बराबर 1.6666 है0 क्षेत्रफल बनता है। उक्त 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण 1.666 है0 भूमि बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को दी गई है।

प्रतिवादी संख्या 5 सागर का दिनांक 06.02.2009 को स्वर्गवास हो गया। जिसने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया ना ही किसी व्यक्ति के पक्ष में वसियत निष्पादित की अर्थात सागरमल का निर्वसियती एवं प्रथम वर्ग का वारिस छोड़े बिना स्वर्गवास हुआ है, जिस कारण मृत्यु के समय छोड़ी गई सम्पदा में वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1/3 हिस्सा प्राप्त हो गया परन्तु ग्राम कटराथल एवं ग्राम दौलतपुरा की कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में से सागरमल का नाम स्थगन होने के कारण विलोपित नही हो सका है तथा ग्राम दौलतपुरा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता/पति स्व0 बाबू का भी विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ है परन्तु अब राजीनामाकर्तागण के मध्य सम्पति के संबंध में कोई विवाद शेष नही रहा है। जिस कारण राजीनामा प्रस्तुतकर्तागण राजस्व रिकार्ड में सागरमल का नाम हजब करवाने के लिए तैयार है। इसलिए सागरमल का नाम राजस्व रिकार्ड में से हजब किया जाना प्रार्थनीय है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर कथन है कि मुताबिक राजीनामा वाद पत्र को डिकी जाकर ग्राम कटराथल में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.31 है0 किता–2 कुल रकबा 1.35 है0 में 50 गुणा 30 फीट बराबर 1.67 वर्गफीट के अनुसार 0.156 है0 भूमि सड़क मार्ग से लगती हुई प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को एवं खसरा नम्बर 444 की शेष 1.31–0.0156

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

बराबर 1.2944 एवं खसरा खसरा नम्बर 443 रकबा 0.04 है0 को जोड़कर 1.2944 + 0.04 बराबर 1.
है0 में से 1/2 भाग की 0.6672 है0 भूमि खसरा नम्बर 444 में से वादी को तथा खसरा नम्बर
रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 444 की शेष 0.6272 है0 कुल 0.6672 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1
को विभाजन में प्राप्त होने के कारण इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्त
घोषित करके राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन करन हेतु तहसीलदार सीकर को आदेश दिये ज

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर दिनांक 11.06.2015 को राजीनाम
किया गया। वादी की पहचान वकील श्री प्रभातीलाल एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 की पहचान वकील
जाबिद अली द्वारा की गई है। राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। सही होना स्वीकार किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। तमाम न
सबूतां एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के मध्य राजस्व लोक अदालत की भ
से राजीनमा हो गया, जिसको स्वीकार किया जाकर ग्राम कटराथल में अवस्थित कृषि भूमि
नम्बर 443 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.31 है0 किता–2 कुल रकबा 1.35 है0 में
गुणा 30 फीट बराबर 1.67 वर्गफीट के अनुसार 0.156 है0 भूमि सड़क मार्ग से लगती हुई प्रतिवादी
2 लगायत 4 को एवं खसरा नम्बर 444 की शेष 1.31–0.0156 बराबर 1.2944 एवं खसरा खसरा
443 रकबा 0.04 है0 को जोड़कर 1.2944 + 0.04 बराबर 1.3344 है0 में से 1/2 भाग की 0.667
भूमि खसरा नम्बर 444 में से वादी को तथा खसरा नम्बर 443 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 44
शेष 0.6272 है0 कुल 0.6672 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्रा को विभाजन में प्राप्त होने के
इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार सीकर को आदेश दिये जाते है कि निर्णय व डिक्री के अनुसार रा
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2015 को सरे इजलास में सूनाया गया ।

(आर.एन.श
उपखण्ड अधि
उपखण्ड अधिका
सीकर